

राजस्थान-सरकार
कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति)
बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर

दुरभाष नं. 0141-2550638

email-jdseedtesting@gmail.com

कमांक-एफ-2 स्टोर/स.नि.कृ.(वन)/नीलामी/2021-22/ 977

दिनांक:- 25/2/22

नीलामी की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति), बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर की अनुपयोगी/नकारा भण्डार सामग्री जैसे (टाईपिंग मशीन हिन्दी व अंग्रेजी, लोहे के छोटे बड़े ताले, छत के पंखे, ऐक्जोस्ट फेन, रूम हीटर, रेफ्रिजरेटर, बी.ओ.डी इनक्यूबेटर, कम्प्युटर, प्लांट ग्रोथ चैम्बर, वॉक इन रूम जर्मीनेटर, स्केप सामग्री, अखबार रद्दी आदि) को खुली बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से दिनांक 22.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय परीसर में गठित कमेटी के समक्ष जहाँ है जैसी स्थिति में है, नीलाम किया जायेगा।

उक्त सामग्री का पुस्तक मूल्य रु 973090 (अक्षरे रूपये नौ लाख तहत्तर हजार नब्बे मात्र) है। अतः इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व राशि रूपये 19470/- अमानत राशि नकद/डी.डी अथवा बैंकर चैक जो कि संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति), बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर के नाम देय हो, कार्यालय में जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोली की शर्तों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में उपस्थिति होकर अथवा विभागीय वेबसाइट www.agriculture.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।

(डॉ. हितेन्द्र कुमार त्रिवेदी)
संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति)

राजस्थान-सरकार
कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति)
बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर

दुरभाष नं. 0141-2550638

email-jdseedtesting@gmail.com

क्रमांक-एफ-2 स्टोर/स.नि.कृ.(वन)/नीलामी/2021-22/977

दिनांक:-25/2/22

नीलामी शर्त:-

1. बोली लगाने वाले कबाडी/बिडर्स को अमानत राशि के रूप में बोली लगाने से पूर्व राशि रूपये 19470/- अमानत राशि नकद/डी.डी अथवा बैंकर चैक जो कि संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति), बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर के नाम देय हो, कार्यालय में जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते है। इसके अभाव में बिडर्स नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
2. अन्तिम बोली छुटने पर अधिकतम बोली लगाने वाले को सामान की पूरी राशि उसी समय बोली राशि में से अमानत राशि को कम करते हुए जमा करवानी होगी एवं स्वयं की लागत पर उसी दिन कार्यालय समय में सामान उठाना होगा। उसके बाद सामान की इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. अगर नीलामी में उचित राशि वसूल नहीं होती है, तो नीलामी कमेटी को नीलामी निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. नीलामी में केवल ऐसे कबाडी/बिडर्स शामिल हो सकेंगे, जिनकी फर्म के नाम से जी.एस.टी नम्बर हो। जी.एस.टी नम्बर नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार वार्षिक टर्नओवर से सम्बन्धित शपथ पत्र देवें।
5. अन्तिम बोली पर बोली छोडने अथवा न छोडने का अधिकर नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा।
6. अमानत राशि अन्तिम बोली छुटने के पश्चात् शेष बिडर्स को यथा शीघ्र लौटा दी जावेगी।
7. अनुपयोगी/नकारा सामान जो है, जहाँ है जैसी स्थिति में है, नीलाम किया जायेगा। इस सामग्री का अवलोकन कार्यालय दिवस मे किया जा सकता है।

(डॉ हितेन्द्र कुमार त्रिवेदी)
संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति)